



● बीआरकेजीबी- आवास मरम्मत / विस्तार / नवीनीकरण / साज सज्जा ऋण योजना

1.	उद्देश्य	1) वर्तमान गृह की मरम्मत / फर्नीशिंग / नवीनीकरण / सुधार / विस्तार हेतु 2) फर्नीचर / फिक्सचर्स / फर्नीशिंग / अन्य गैजिट जैसे पंखे, एयर कंडीशनर्स, वॉटर फिल्टर्स, एयर प्यूरिफायर, हीटर्स, डेजर्ट कूलर्स इत्यादि हेतु
2.	पात्रता	अपने नाम से एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में धारित आवासीय निर्मित आवास
3.	ऋण की राशि	न्यूनतम राशि : ₹25,000 तथा अधिकतम राशि : रुपये 10 लाख होगी।
4.	मार्जिन	25 प्रतिशत
5.	प्रतिभूति	i. सम्बन्धित प्रापर्टी का साम्यक बंधक. ii. प्रतिष्ठित 2 व्यक्तियों की व्यक्तिगत जमानत iii. उत्तरदिनांकित 10 चेक
6.	ब्याज दर	समय समय पर बैंक के द्वारा जारी परिपत्रानुसार लागू होगी।
7.	चुकोती अवधि:	ऋण राशि एवं ब्याज अधिकतम 10 वर्षों की समयावधि में समान मासिक किश्तों में देय होगी।
8.	प्रोसेसिंग प्रभार	समय समय पर बैंक के द्वारा जारी परिपत्रानुसार लागू